बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदक **मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0–परवेज अहमद), S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin-845401 (निबंधन सं0–1200106)** द्वारा काली सूची में दर्ज होने के विरूद्ध दायर अपील अभ्यावेदन (दिनांक 01.12.2023) के सापेक्ष सुनवाई के सम्बन्ध में:–

03/01/2024

आदेश

संवेदक **मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0–परवेज अहमद), S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin- 845401 (निबंधन सं0–1200106)** एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी उपस्थित।

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त इतिहास यह है कि नयी अनुरक्षण नीति–2018 (MR-3054) अन्तर्गत **कार्य प्रमण्डल, मधुबनी के अधीन "अतिथी होटल एन0एच0 से हार्ट हॉस्पीटल मंगरौनी तक पथ"** के नवीनीकरण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य संवेदक **मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0–परवेज अहमद), निबंधन सं0–(1200106), S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin- 845401** को आवंटित था, जिसका एकरारनामा संख्या–02/MBD/2022-23 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 21.07.2022 एवं नवीनीकरण कार्य पूर्णता की तिथि 20.03.2023 है। एकरारनामा की शर्तो के अनुरूप संवेदक को नवीनीकरण कार्य पूर्ण करने के पश्चात् पाँच वर्षो तक पथ का अनुरक्षण कार्य भी करना था।

संवेदक द्वारा पथ को अच्छी तरह संधारित नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–665 दिनांक–12.05.2023, पत्रांक–1085 दिनांक–06.07.2023, पत्रांक–1239 दिनांक– 27.07.2023 एवं पत्रांक–1505 दिनांक–09.09.2023 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। इस पथ की संयुक्त जाँच अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा द्वारा दिनांक–30.08.2023 को की गई। प्राप्त संयुक्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पथ की पूरी लम्बाई 1.01 कि0मी0 में Cement Concrete Pavement का कार्य कराया गया है तथा Riding Surface सही नहीं पाया गया। संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण पथ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हुई तथा पथ में अवस्थित पुल के Return Wall में वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव हो गया। जिसका मरम्मती कार्य भी संवेदक द्वारा नहीं कराया गया । संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण **कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के कार्यालय आदेश सह पठित ज्ञापांक–1578 दिनांक–20.09.2023** द्वारा विषयगत कार्य के एकरारनामा को MBD के Clause of Contract की कंडिका 59 एवं अन्य कंडिकाओं के उप कंडिकाओं के तहत विखंडित करते हुए जमानत की राशि जब्त की गई एवं संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–5312 दिनांक 12.10.2023 द्वारा संवेदक से 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया। संवेदक के पत्रांक 85 दिनांक 20.10.2023 द्वारा इस आशय की जानकारी संवेदक द्वारा दी गयी कि वे इलाजरत है तथा उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए दिनांक 15.11.2023 तक का समय दिया जाय। संवेदक के अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 5909 दिनांक 14.11.2023 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने की तिथि दिनांक 16.11.2023 तक विस्तारित की गयी। इसी बीच संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2023 को उपलब्ध कराया गया, संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित बिन्दुओं की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी।

(87)

तदालोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक 19.12.2007 द्वारा अधिसूचित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के कंडिका 11 (क) (vi) तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का का0अ0सं0–154 दिनांक 18.06.2015 की कंडिका (1)(b) में निहित प्रावधानों के आलोक में संवेदक **मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0–परवेज अहमद)**, को **विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 6012 दिनांक 27.11.2023** द्वारा अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया है।

उक्त सुनवाई में संवेदक का पक्षः–संवेदक मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0–परवेज अहमद) द्वारा उपस्थित होकर अपने प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि दिनांक 05.01.2023 को विभागीय देख–रेख में कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ समाप्त कर दिया गया। अनुरक्षण कार्य किया जा रहा था। जिसमें एम0बी0डी0 के अनुसार तीन माह पर भुगतान करना है। पत्र संख्या C.E-4 (HQ) 3054-01-133/2022-Part-1-71 (encl)/Patna Date 04-05-2023 को तीन माही अनुरक्षण का भुगतान निधि उपलब्ध कराते हुए चार माह बाद भुगताम दिनांक 18.09.2023 को किया गया है। छः माही अनुरक्षण किये गये कार्य का भुगतान C.E-4 (HQ) 3054-01-133/2022-Part-II-116 (encl)/Patna Date 25-08-2023 को आ गया। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। जबकि दिनांक 20.09.2023 को एकरारनामा विखंडित कर काली सूची में डालने की कार्रवाई की गयी।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण पथ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हुई तथा पथ में अवस्थित पुल के Return Wall में वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव हो गया। जिसका मरम्मती कार्य भी संवेदक द्वारा नहीं कराया गया । संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा को विखंडित करते हुए जमानत की राशि जब्त की गई एवं संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर संवेदक **मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0–परवेज अहमद), S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin- 845401 (निबंधन सं0–1200106)** द्वारा इन्हें आवंटित पथ के रख–रखाव का अनुरक्षण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ ससमय नहीं किये जाने के कारण **विभागीय आदेश ज्ञापांक 6012 दिनांक 27.11.2023** द्वारा **10 (दस) वर्षों के लिए** काली सूची **(Blacklist)** में डाला गया आदेश को यथावत रखते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

(26)

अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—14/अ0प्र0—01—55/2023 178 /पटना, दिनांक— 10.1.24

प्रतिलिपि—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/24

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—14/अ0प्र0—01—55/2023 178 /पटना, दिनांक— 10.1.24

प्रतिलिपि— सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/24

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—14/अ0प्र0—01—55/2023 178 /पटना, दिनांक— 10.1.24

प्रतिलिपि— सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

10/1/24

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांक—14/अ0प्र0—01—55/2023 178 /पटना, दिनांक— 10.1.24

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/24

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः—14/अ0प्र0—01—55/2023 178 /पटना, दिनांक 10.1.24

निबंधित

प्रतिलिपिः— संवेदक **मेसर्स स्टार कन्सट्रक्शन (प्रो0—परवेज अहमद), S/o- Hassan Ahmad Khan, At Balua Tol, Po- Motihari, Ps- Nagar Thana, Dist- East Champaran, Bihar, Pin- 845401** को सूचनार्थ प्रेषित।

10/1/24

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव